संख्या-680/2024/2431/24-27-सिं0-4/001-58(डब्ल्यू)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अमित प्रणव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:** 19 **दिसम्बर**, **2024**

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा के अन्तर्गत सर्वेक्षण मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी 1527/आई0बी0/सर्वे0/2024-25, दिनांक 12.09.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-94 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक **4701-80-005-10-14-42** के अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 3300.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि से रू0 **1670.09** लाख (रूपये सोलह करोड़ सत्तर लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-4 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	संगठन का नाम	कराये जाने वाले मुख्य-मुख्य कार्यों का विवरण/सार	प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
1	बेतवा, झांसी	सर्वेक्षण कार्य हेतु/पहूज बॉध की **Elevation Capacity** व गेटों **Model Studies** कराने के निमित्त सर्वे कार्य हेतु/ माताटीला बॉध के अतिरिक्त स्पिल वे निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य	346.30
2	सरयू परियोजना-प्रथम अयोध्या	सर्वेक्षण कार्य हेतु	140.00
3	शारदा सहायक, लखनऊ	सर्वेक्षण कार्य हेतु/ठेकमा राजवाहा के किमी0 0.00 से किमी0 83.200 एवं लालगंज राजवाहा के किमी0 0.00 से किमी0 71.00 तक तथा तरवॉ राजवाहा के किमी0 0.00 से किमी0 38.00 तक नहर के सर्वेक्षण का कार्य/फूलपुर शाखा के किमी0 0.00 से 68.6300 तक् एवं बारी राजबहा के किमी0 0.00 से 40.40 तक का सर्वेक्षण कार्य/डीह राजबहा के किमी0 0.00 से 70.524 तक एवं मऊ राजबहा के किमी0 0.00 से 17.360 तक तथा नसीराबाद राजबहा के किमी0 0.00 से 16.510 तक सर्वेक्षण कार्य	61.99
4	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध,लखनऊ	सर्वेक्षण कार्य हेतु	21.00
5	रामगंगा, कानपुर	परियोजना गठन के सर्वेक्षण कार्य हेतु/मैरपुरी प्रखण्ड निचली गंगा नहर मैनपुरी के अंतर्गत विभिन्न नहरों पर परियोजना गठन हेतु	311.79

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		सर्वेक्षण कार्यो पर धन की मांग	
6	शारदा,बरेली	सर्वेक्षण कार्य हेतु/गोवल राज0कि0मी0 0.00 से 11.400 तक पुनरोद्वार की परियोजना के गठन हेतु/बीसलपुर राज0 के किमी0 0.00 से 74.020 तक पुनरोद्वार की परियोजना के गठन हेतु/माघोटांडा नहर प्रणाली के पुनरोद्वार की परियोजना के गठन हेतु/ पुरानी शारदा पोषक नहर कि0मी0 0.00 से 3.920 तक अधीक्षण अभियन्ता महोदय द्वारा निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशो के क्रम में एल-सेक्शन प्रस्तुत करने हेतु/कैलाश राज0के किमी0 0.000 से 39.600 तक पुनरोद्वार की परियोजना के गठन हेतु/शारदा सागर खण्ड, की नहरों की सिल्ट सफाई के दौरान ड्रोन सर्वे के कार्य हेतु।/ नानकसागर एवं बैगुल डैम के Dam Mreak Analysis (DBA), Emargency Action Plan, (EAP), Hazard Potential, Rapid Rish Assessment एवं लेवलिंग एव सीमांकन संबंधित कार्य कराने हेतु/शारदा बैराज बनवसा के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम फलोर के सर्वेक्षण,शारदा मुख्य नहर एवं इसकी शाखा नहरो के सर्वेक्षण का कार्य	95.00
7	पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	बदायूं सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सकटपुर माईनर सरारी मईनर, बिनावर राजवाहा,कुतुबपुर,औरंगाबाद,मलकपुर,रम्पुरा,अहरपुर, चितरी, हजरतपुर, भगौला,लभारी,मलूकपुर,बजीरपुर माईनर के L-Secton तथा चादर शीट तैयार करने हेतु।/परियोजना के गठन हेतु सर्वेक्षण का कार्य	95.00
8	यमुना, ओखला	बाह मुख्य नहर के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 6.900 तक आन्तरिक अनुभाग की पुर्नस्थापना के कार्यो की ड्रोन कैमरे द्वारा विडियोग्राफी/ फोटोग्राफी एवं सर्वे का कार्य	6.73
9	कनहर सिंचाई परियोजना, मीरजापुर	सर्वेक्षण कार्य हेतु	160.00
10	जल संसाधन, लखनऊ	सर्वेक्षण कार्य हेतु/ गेज एवं डिस्चार्ज मापन का कार्य	220.00
11	सरयू परियोजना-द्वितीय, गोण्डा	सर्वेक्षण कार्य हेतु	30.00
12	अनुसंधान एवं नियोजन, लखनऊ	जनपद अयोध्या में सरयू नदी पर प्रस्तावित अयोध्या बैराज परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन (EIA) एवं प्रबन्धन प्लान (EMP) तैयार किये जाने एवं अन्य कार्यो हेतु।	7.05
13	मध्यगंगा, अलीगढ़	मध्यगंगा-प्रथम चरण के अन्तर्गत खण्ड की समस्त नहरों के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु।/मध्यगंगा नहर परियोजना प्रथम चरण मके अन्तर्गत निर्मित नहरों के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु।	45.00
14	गंगा, मेरठ	अनूपशहर शाखा के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 131.940 तक आन्तरिक अनुभाग की पुर्नस्थापना की परियोजना के गठन हेतु विस्तृत सवेक्षण का कार्य/खण्ड में स्थित विभिन्न ड्रेनों एवं राजवाहो के आन्तरिक अनुभाग की पुर्नस्थापना की परियोजना और उन पर स्थित विभिन्न पक्की क्षतिग्रस्त संरचानाओ के सर्वेक्षण/डिजाईन हेतु।	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	नलकूप मध्य, लखनऊ	सर्वेक्षण कार्य हेतु	25.00
16	नलकूप दक्षिण, कानपुर	सर्वेक्षण कार्य हेतु	30.00
17	सोन, वाराणसी	Bathymetric Survey Of Nunauti Bandhi Bathymetric Survey Of Shakteshgarh Bandhi Bathymetric Survey Of Kuba Khurd Bandhi	10.23
18	अपर कार्यकारी अधिकारी, केन बेतवा लिंक नहर (निर्माण) झांसी	सर्वेक्षण कार्य हेतु	15.00
		कुल	1670.09

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु उक्त संगठनों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0-8 प्रपत्र मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व कार्यकारी खण्ड के सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ताओं का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **16,70,09,000** (रुपये सोलह करोड़ सत्तर लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4701800051014** सम्बद्ध कार्य मानक मद **42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024,** दिनाँक- **04-**मार्च**, 2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव ।

संख्या-680**/202**4/2431(i)**/24-27-सिं0-4/**001-58**(डब्ल्यू)/2008टी0सी0**, **दिनांक दिसम्बर**, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (बेतवा/ सरयू परियोजना-प्रथम/ शारदा सहायक/ सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध/ रामगंगा/ शारदा/ पूर्वीगंगा/ यमुना/ कनहर सिंचाई परियोजना/ जल संसाधन/ सरयू परियोजना-द्वितीय/ अनुसंधान एवं नियोजन/ मध्यगंगा/ गंगा/ नलकूप मध्य/ नलकूप दक्षिण/ सोन/ अपर कार्यकारी अधिकारी, केन बेतवा, लिंक नहर (निर्माण)), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी/ अयोध्या/ लखनऊ/ कानपुर/ बरेली/ मुरादाबाद/ ओखला/ मीरजापुर/ गोण्डा/ अलीगढ़/ मेरठ/ वाराणसी।

7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, झांसी/ अयोध्या/ लखनऊ/ कानपुर/ बरेली/ मुरादाबाद/ ओखला/ मीरजापुर/ गोण्डा/ अलीगढ़/ मेरठ/ वाराणसी।

9- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

11- नियोजन अनुभाग-3

12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
वी0 एन0 तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।